न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, हनुमानगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – संजू पारीक आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 एल. आर. एक्ट. 1956

प्रकरण संख्या – 50/2025

1. भूराराम पुत्र हेतराम जाति मेघवाल निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ ।
2. श्योजीराम पुत्र हेतराम जाति मेघवाल निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।

– अपीलांट

बनाम

1. प्रभुराम पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ।
2. प्रेमकुमार पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ
3. राजेन्द्र पुत्र मोमनराम जाति मेघवाल निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ
4. रामूराम पुत्र हेतराम जाति मेघवाल साकिन नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर ।
5. रायसिंह पुत्र चेतराम जाति मेघवाल साकिन नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर ।
6. सावित्री पत्नी चेतराम जाति मेघवाल साकिन नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
7. सीमा पुत्री चेतराम जाति मेघवाल साकिन नेतेवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
8. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ ।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– श्री विजय सिंह अधिवक्ता अपीलांट।

श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 ता 3

निर्णय दिनांकः– 18/05/2026

अपील भूराराम पुत्र हेतराम जाति मेघवाल निवासी न्यौलखी तहसील पल्लू द्वारा बखिलाफ आदेश दिनाक 06–08–2024 ब अदालत तहसीलदार (राजस्व) पल्लू तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ जिसकी रूह से प्रकरण संख्या 42 सन 2021 वसीयत के आधार नामान्तरण दर्ज ना कर नियम विरूद्ध प्रार्थना पत्र वसीयत दिनांक 27–04 1907 के आधार पर नामान्तरण को खारिज किया को निरस्त करवाने बाबत पेश की गई जिसके संक्षेप मे तथ्य निम्न प्रकार हैं –

1. यह कि आदेश दिनांक 06–08–2024 ब अदालत मातहत बखिलाफ कानून, नियम, वाक्यात व रुएदाद मिसल है तथा नियम विरूद्ध है । सत्य प्रतिलिपि आदेश दिनांक 06–08–2024 व सत्य प्रति[illegible] व सत्य प्रतिलिपि प्रार्थना पत्र व अन्य सम्बन्धित दस्तावेज संलग्न अपील [illegible]
2. यह कि प्रार्थीगण अपीलांट [illegible] मेघवाल निवासी नेतेवाला तहसील श्रीगंगानगर के नाम से जरिये व बैनामा खरीद शुदा कृषि[illegible]रौही मौजा हमीरदेसर तहसील पल्लू मे खसरा नम्बर 29[illegible] की 0.8850 हैक्टेयर व [illegible] नम्बर 74 की 6.9050 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड थी तथा उक्त कृषि भूमि प्रार्थीगण अपीलांट

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

की माता अनकौरी पत्नि हेतराम ने खरीद की थी लेकिन अनकौरी हरियाणा राज्य की होने के कारण उसके नाम कृषि भूमि का बैयनामा नहीं होने के कारण अनकौरी ने अपने भाई स्वर्गीय हेतराम पुत्र मानाराम के नाम बैयनामा करवाया तथा उक्त कृषि भूमि को राजस्व रिकार्ड में हेतराम के नाम दर्ज करवा कर उक्त कृषि भूमि अनकौरी पत्नि हेतराम के वारिसान अपीलांटस व मोमनराम के वारिसान रेस्पोडेन्ट प्रेमकुमार आदि काश्त करते आ रहे है ।

3. यह कि स्वर्गीय हेतराम पुत्र मानाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त कृषि भूमि की वसीयत दिनांक 27–01–1997 को अपीलांटस प्रार्थीगण की माता अनकौरी के पक्ष में उप पंजियक रावतसर के समक्ष उपस्थित होकर रजिस्टर्ड करवाई ताकि हेतराम की मृत्यु के बाद उक्त कृषि भूमि अनकौरी के नाम दर्ज हो सकें ।

4. यह कि अपील की मद नम्बर 2 में वर्णित कृषि भूमि को अपीलांटस प्रार्थीगण लगातार काश्त करते आ रहे है। हेतराम की मृत्यु दिनांक 04–09–2003 को हो चुकी है। तथा अनकौरी की मृत्यु दिनांक 14–12–2014 को हो चुकी है तथा प्रार्थीगण अपीलांट ने वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने हेतु मातहत अदालत तहसीलदार पल्लू के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रेमकुमार पुत्र मोमनराम की तरफ पेश किया था तथा मगर प्रेमकुमार ने बदयान्तिपूर्वक व लालचवंश उक्त प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत के आधार पर नामान्तरण पत्रावली की पूरी जानकारी ना देकर वसीयतकर्ता हेतराम पुत्र मानाराम के वारिसान के नाम पहले तो विरास्तन नामान्रण दर्ज करवाकर अपने नाम व अपने भाईयों के नाम बैयनामा करवा लिया मगर उसने वसीयतकर्ता की इच्छा का ध्यान ना देकर अनकौरी की वसीयत के आधार उसके वारिसान के नाम उसकी वसीयत दिनांक 21–01–1997 के आधार उसके वारिसान अपीलांट प्रार्थीगण व मोमनराम के वारिसान के नाम मुताबिक हक व हिस्सा मातहत अदालत को वसीयत के आधार पर दर्ज करना चाहिए था मगर मातहत अदालत ने वसीयत के आधार समस्त पत्रावली की प्रक्रिया पूरी करने हेतु वसीयत के गवाह को नोटिस भेजकर ब्यान करवाने चाहिए थे मगर मातहत अदालत प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत के आधार पर नामान्तरण दिनांक 06–08–2024 को खारिज कर दिया जो नियम वियद्ध है तथा आदेश दिनांक 06–08–2024 इसी आधार पर काबिल अपास्तनीय है ।

5. यह कि मातहत अदालत ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधान की पालना नही करते हुए केवल प्रार्थना पत्र वसीयत के आधार पर नामान्तरण को खारिज करने में रूचि दिखाई है तथा आदेश दिनांक 06–08–2024 ब अदालत मातहत इसी आधार पर निरस्तनीय है ।

6. यह कि अपील अपीलांटस प्रार्थीगण न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है तथा उचित कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है तथा देरी को माफ करवाने के लिए अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलांट की तरफ से पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 06–08–2024 ब अदालत मातहत अपास्त फरमाया जावें तथा पत्रावली मातहत अदालत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जावे कि वह प्रार्थना पत्र बाबत वसीयत दिनांक 27–1–1997 के [illegible] पर वसीयत के गवाह के ब्यान लिए जाकर वसीयतकर्ता की [illegible] 1997 के आधार पर वसीयतग्रहिता अनकौरी के वारिसान अ[illegible] राम पुत्र अनकौरी के वारिसान के नाम मुताबिक हक व हिस्सा नामान्तरण दर्ज क[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:26 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

प्रकरण संख्या 50/2025 अनवान भूराराम आदि बनाम प्रभुराम आदि

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री हवासिंह पूनियां एडवोकेट उपस्थित हुयें। रेस्पोडेन्ट 4 ता 7 बाद तामील उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 8 अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन प्र0सं0 42/2021 की मूल पत्रावली तलब की गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलकृत निर्णय दिनांक 06/08/2024 विधि सम्मत पारित किया गया हैं । जिसका अपीलांट को ज्ञान था । उसके बाद विवादित भूमि का विरास्तन नामान्तरण दर्ज हुआ हैं एवं बैय होने के बाद बैयनामा का नामान्तरण दर्ज हुआ हैं। विवादित भूमि उतरदाता के कब्जा काश्त में चली आ रही हैं। अपीलांट ने निर्णय होने के 12 माह बाद लालचवश अपील पेश की हैं । अपील मियाद बाहर होने पर भी उतरदाता को पेरशान करने के लिए पेश की है जो खारिज योग्य हैं।

अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया । अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अध्ययन किया गया एवं न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) पल्लू द्वारा प्रकरण सं0 42 सन् 2021 वसीयत में गवाह बयान मय शपथ पत्र पेश नहीं होने के कारण पत्रावली खारिज की गई ।

न्यायालय के मत मे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) पल्लू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6/8/2024 को पारित करने मे त्रुटि कारित की हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाकर न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) पल्लू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6/8/2024 को अपास्त किया जाता हैं एवं पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) पल्लू को प्रतिप्रेषित (Remand) की जाती हैं कि वसीयत के अनुसार नामान्तरण की कार्यवाही करे । अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए एवं गवाह बयान लेकर पुनः निर्णय पारित करें।

अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर आज दिनांक 12/5/26 को सरेइजलास सुनाया गया।

(संजू पारीक आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanju Pareek
Date: 2026.05.22 13:47:26 IST
Reason: SelfAttested